Office of SE (IT), JVVNL, Jaipur
XEN(IT-I/II/III)AEN(AAO(IT)/
PA/JEN/Store/Estt/AO(TW)
R.R. No. 164
Dated 12-4-16

CIN:U40109RJ2000SGC016486

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Office of The superintending Engineer (TW),
Old Power House Premises, Near Ram Mandir,
Jaipur-302006, TELE FAX NO.0141-2201022
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Website: www.jaipurdiscom.com, Email: setw@jvvnl

No. JPD/SE (TW)/XEN(TW-III)/AEN-III/D. 124 Jaipur, Dated: 12-4-16

OFFICE ORDER

Sub:- Guidelines for releasing BPL/APL Households connections under DDUGJY (erstwhile RGGVVY 12th Plan)

During the Corporate Level Purchase Committee meeting held on 7.4.16, guidelines for releasing BPL/APL Households connections under DDUGJY (erstwhile RGGVVY 12th Plan) were approved after detailed discussions and deliberations with the intension to streamline the procedure for releasing BPL & APL connections and laying of Rural Electrical Infrastructure Network under DDUGJY (erstwhile RGGVY 12th Plan).

Duly approved guidelines are hereby circulated with the request to ensure its compliance so that targeted APL / BPL HHs connections may be released within timeline of project and it is also requested to finalize schedule and organize camps accordingly at Gram Panchayat Level with joint efforts of O&M wing, DDUGJY cell and Turn Key contractors for this specific task.

Compliance of guidelines should be adhered strictly.
Encl:-As above.

(J.L.Meena)
Superintending Engineer (DDUGJY)

Copy submitted/forwarded to the following for information & n/a:-

1. The Chief Engineer (MM/JZ/BZ/KZ), Jaipur Discom, Jaipur/Bharatpur/Kota.
2. The Superintending Engineer(JPDC/O&M)Jaipur Discom Jaipur/Alwar/Dausa Kota/Karauli/Bharatpur/Sawaimadhopur/Jhalawar/Bundi/Tonk/Baran./Dholpur
3. The Superintending Engineer (RE), Jaipur Discom, Jaipur
4. The Executive Engineer (DDUGJY), Jaipur Discom,Alwar/Dausa/Kota/Karauli /Bharatpur/Sawaimadhopur/Jhalawar/Bundi/Tonk/Baran./
5. The TA to Hon'ble CMD, Jaipur Discom, Jaipur.
6. The TA to Director (Technical), Jaipur Discom, Jaipur.
7. The Executive Engineer (TW/I/II), Jaipur Discom, Jaipur.
8. .M/S --------------------- ------------------------------

Devendra

Superintending Engineer (DDUGJY)

9. Copy submitted to the Superintending Engineer (IT) JPD, Jaipur for kind information with request to kindly upload this letter with guidelines on Discom's Portal for information of all concerned.
XEN(T...

(अ) बीपीएल परिवारों को दिये जाने वाले निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश

1. ठेकेदार फर्म द्वारा प्रत्येक बीपीएल परिवार को विद्युत कनेक्शन देने की पत्रावली तैयार कर संबंधित अधिशाषी / सहायक अभियंता (डीडीयूजीजेवाई) को अग्रिम कार्यवाही हेतु देना सुनिश्चित करेगा।

2.अधिशाषी / सहायक अभियंता (डीडीयूजीजेवाई) द्वारा उक्त पत्रावली को सेन्सस् 2002 संशोधित अतिंम तिथि की लिस्ट के आधार पर चैक कर संबंधित सहायक अभियंता (ओएण्डएम) के कार्यालय में, सर्विस कनेक्शन आदेश जारी करने हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3.सहायक अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा उक्त पत्रावली को चैक कर यदि पूर्व की कोई बकाया राशि / कोर्ट केस या अन्य विवाद हो तो उसका सत्यापन करने के बाद तीन दिवस में सर्विस कनेक्शन आदेश जारी कर संबंधित अधिशाषी / सहायक अभियंता (डीडीयूजीजेवाई) को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
4.अधिशाषी / सहायक अभियंता (डीडीयूजीजेवाई) द्वारा उक्त सर्विस कनेक्शन आदेश की पालना करवाकर प्रथम बिल जारी करने हेतु सहायक अभियंता (ओएण्डएम) के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे। उक्त जारी किये गये समस्त कनेक्शनों के प्रथम विद्युत विपत्र जारी करना संबंधित सहायक अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

इस दौरान मौके पर कनेक्शन जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों को कुछ समस्याऐं आ सकती है, जिनका समाधान निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>बिन्दु संख्या</th><th>समस्या</th><th>समाधान</th></tr>
<tr><td>1 व</td><td>बीपीएल सूची में जिसका नाम है उसकी मृत्यु हो गयी है तो उसकी पत्नी को कनेक्शन देना है या नहीं।</td><td rowspan="2">बीपीएल आवेदन के आश्रित को कनेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन बीपीएल आश्रित को अपना रजिस्ट्रेशन केन्द्र की बीपीएल श्रेणी में करवाना आवश्यक होगा तब ही उनको कनेक्शन जारी किया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बीपीएल सूची में जिसका नाम है और उसकी मृत्यु हो गयी है तथा उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है उनके एक से अधिक बच्चे है इस परिस्थिति में किस बच्चे को विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।</td></tr>
</table>

3	बीपीएल सूची में जिस गांव में नाम है वह उस गांव में नहीं रहता है लेकिन वह दूसरे गांव में अपना घर बनाकर रह रहा है। इस परिस्थिति में उसके लिये विद्युत तंत्र खड़ा कर विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है कि नहीं	कनेक्शन उसी गॉव में दिया जा सकता है, जिस गॉव में परिवार बीपीएल सूची में सम्मिलित है।
4	बीपीएल सूची में जिसका नाम है व उसका घर कच्चा छप्पर का बना हुआ है वहां विद्युत कनेक्शन हेतु मीटर लगाने के लिये दीवार भी नहीं है ऐसे में विद्युत कनेक्शन कैसे दिया जा सकता है।	यदि बीपीएल परिवार कच्चे झोपड़े में रह रहा है तो उसके घर के सामने दो ऐंगिल खड़ी कर उस पर विद्युत मीटर लगाकर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है। (उक्त ऐगिंल की कीमत अधिकतम 500/— रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये)
5	बीपीएल सूची में जिसका नाम है सर्वे के दौरान बीपीएल के घर पर निगम का मीटर पूर्व में लगा पाया गया/घर पर रखा पाया गया, कई बीपीएल के घर के आस—पास विद्युत तंत्र भी नही है तथा निगम के द्वारा उपरोक्त कनेक्शन का कोई भी बिल जारी नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में 12th Plan RGGVY में विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं।	यदि x th RGGVY एवं x1 th RGGVY प्लॉन एवं कुटीर ज्योति योजना में बीपीएल परिवार को कनेक्शन नहीं दिया गया हो इसका सत्यापन पूर्व में जारी किये गये कनेक्शन सूची से सत्यापित करने के उपरांत ही कनेक्शन दिया जावे। यदि पूर्व में उक्त बीपीएल को कनेक्शन दिया जा चुका है तो उसे दुबारा से कनेक्शन नहीं दिया जावे। परन्तु उक्त के बारे में संबंधित अधिशाषी/सहायक अभियंता (ओएण्डएम) को सूचित कर दिया जावे एवं सहायक अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा इस प्रकार लम्बित रहे कनेक्शन को निगम हित में जारी कर प्रथम विद्युत विपत्र जारी करना सुनिश्चित करना होगा।
6	बीपीएल सूची में जिसका नाम है पूर्व में उस स्थान पर निगम के द्वारा एपीएल में कनेक्शन जारी किया गया था लेकिन निगम का बकाया होने पर कनेक्शन कट गया तथा उसकी मृत्यु भी हो गई इस परिस्थिति में 12th Plan RGGVY में विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है कि नहीं।	परिसर पर यदि निगम का बकाया है तो कनेक्शन नहीं दिया जाना है।
7	बीपीएल सूची में जिसका नाम है लेकिन वह स्वयं विद्युत कनेक्शन लेने का इच्छुक नहीं है इस परिस्थिति में क्या किया जावे।	अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता (डीडीयूजीजेवाई) साक्ष्य के साथ अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू)/ (ओएण्डएम) को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

W/